



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 406 राँची, गुरुवार

6 भाद्र 1936 (श०)

28 अगस्त, 2014 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

27 अगस्त, 2014

विषय : राज्य पथ परिवहन निगम के वैसे निगम कर्मियों जिन्हे विभागीय कार्यवाही एवं समूह 'घ' के पदों पर भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण धारित नहीं करने के कारण समायोजित नहीं किया जा सका है उन्हे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt petiton (S) Civil No. (S) 411 of 2013 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 2001 में पारित आदेश के आलोक में नियुक्ति(समायोजन) की स्वीकृति।

संख्या-परि०वि०-412/2011-714--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127 दिनांक-30.06.2003 एवं अधिसूचना संख्या-54 दिनांक-14.01.2004 द्वारा दिनांक-30.06.2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शर्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है। इसी प्रसंग में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या-7290/94 (सिविल अपील संख्या) में पारित आदेश दिनांक-12.08.2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

2. तदनुसार परिवहन विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-176 दिनांक-28.02.2009 द्वारा प्रावधानित किया गया है कि झारखंड राज्य में अवस्थित पथ परिवहन निगम के चार प्रभाग राँची, जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में अवस्थित आस्तियों एवं दायित्वों (बसों को छोड़कर) भंडार तथा क्षेत्रीय कर्मियों का विभाजन "जैसे है एवं जहाँ है" के आधार पर झारखंड सरकार के अधीन हो जाएगा। पटना मुख्यालय स्थित कर्मी एवं केन्द्रीय कर्मशाला, पटना के कर्मियों का विभाजन 65:35 के अनुपात में किया जाएगा। इसी क्रम में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालय आदेश संख्या- 152 दिनांक-28.02.2009 के द्वारा कुल 219 पदाधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें दिनांक-01.03.2009 के प्रभाव से झारखंड राज्य को आवंटित की गयी। पथ परिवहन निगम के चार प्रमंडलों में पूर्व से कार्यरत 915 पदाधिकारी/कर्मचारी तथा बिहार राज्य से आगत 219 पदाधिकारी/कर्मचारी को मिलाकर कुल 1124 कर्मियों की सेवा झारखंड राज्य के अधीन हुई, जिनमें से राँची पथ परिवहन प्रमंडल में 507, जमशेदपुर पथ परिवहन प्रमंडल में 247, धनबाद पथ परिवहन प्रमंडल में 198 एवं दुमका पथ परिवहन प्रमंडल 172 अर्थात् कुल 1124 कर्मी हुए। कुल 1124 कर्मियों में से 515 कर्मी दिनांक-28.02.2013 तक सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा दिनांक-01.03.2013 को 609 कर्मी झारखंड राज्य में कार्यरत थे।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक-24.08.2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि In paragraph 9 of the report, it averred as under "9. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due"

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand, have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मोडिफिकेशन एप्लीकेशन I.A. No. 32/2012 राज्य सरकार की ओर से दायर किया गया। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.10.2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में दिनांक-24.08.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport. Employees Association द्वारा अवमाननावाद सं0-203/2012 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है जो सम्प्रति विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विभाजन के उपरांत झारखंड राज्य के हिस्से में प्राप्त कर्मियों के समायोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

4. समायोजन के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-828 दिनांक-21.08.2012 द्वारा राजस्व पर्षद, झारखंड की अध्यक्षता में प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, राँची, सचिव, परिवहन विभाग, झारखंड, राँची एवं राज्य परिवहन आयुक्त, झारखंड की एक उच्चस्तरीय गठित समिति का कार्यकाल मार्च, 2013 तक विस्तारित किया गया एवं अनुशंसा राज्य सरकार को निर्धारित कालावधि में समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त समिति द्वारा एक स्क्रीनिंग कमिटी का गठन अधिसूचना संख्या-1074 दिनांक-03.10.2012 द्वारा किया गया एवं समायोजन के बिन्दु पर इस कमिटी का प्रतिवेदन ज्ञापांक-10493 दिनांक-23.11.2012 के माध्यम से प्राप्त किया गया।

5. उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिनांक- 24.11.2012 को स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा प्रतिवेदित निम्न अनुशंसाओं/समायोजन के प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी है -

i) लिपिकीय संवर्ग के कुल 46 कर्मियों में से 24 कर्मियों (अनुसूची-1) को समायोजन हेतु अनुकूल पाया गया है। 19 लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के पास वांछित शैक्षणिक अहर्ता नहीं रहने तथा 3 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण उन्हें समायोजन के अनुकूल नहीं पाया गया है।

(ii) लेखापाल संवर्ग के कुल 18 कर्मियों में से 15 कर्मियों (अनुसूची-2) को समायोजित करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। 2 कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने तथा 1 के पास वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रहने के कारण इन 3 कर्मियों के समायोजन की अनुशंसा नहीं की गई है।

- (iii) लेखापाल/लिपिकीय संवर्ग के वैसे 20 कर्मी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता वांछित अहर्ता से कम है, को झारखंड सेवा संहिता के नियम-56 के प्रावधान के आलोक में लिपिक कोटि से न्यून कोटि में समायोजित करने की अनुशंसा की गयी है।
- (iv) दफ्तरी संवर्ग के 58 कर्मियों में से 55 (अनुसूची-3) के समायोजन की अनुशंसा की गई है। 3 कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित होने के कारण समायोजन की अनुशंसा नहीं की गयी है।
- (v) चालक संवर्ग के 70 कर्मियों में से 9 चालकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा 3 चालकों के विरुद्ध न्यायालय में कतिपय गंभीर मामले लंबित है। इस प्रकार कुल 12 चालकों को छोड़कर शेष 58 चालकों (अनुसूची-4) को चिकित्सीय जाँच प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपलब्ध रिक्ति के आधार पर समायोजन करने की अनुशंसा की गयी है।
6. इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा निम्न अनुशंसाएँ भी की गयी हैं-
- (i) यह महसूस किया गया कि वैसे कर्मी जिनपर वर्तमान में विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित है, को मात्र इसी आधार पर समायोजन के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। तदनुसार यह अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी कर्मी जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित है, को इस शर्त पर समायोजित कर लिया जाय कि उनका समायोजन उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही/कानूनी कार्रवाई के फलाफल से प्रभावित होगा।
- (ii) दिनांक-05.09.2012 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह पाया गया था कि झारखंड राज्य को प्राप्त कई कर्मियों (पदों का नाम अनुसूची-5 में अंकित है) के समायोजन की संभावना इसलिए नहीं बनती है क्योंकि उन कर्मियों के पदनामों के अनुरूप पद राज्य सरकार में उपलब्ध प्रतीत नहीं होते हैं। इस विषयक यही धारणा थी कि

सगीर अहमद कमेटी की अनुशंसा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के आलोक में इन कर्मियों के साथ Industrial Disputes Act के प्रावधानों के अनुरूप one time settlement कर लिया जाय। दिनांक-24.11.2012 की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इस विषयक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के आलोक में प्राप्त वैधिक आदेशों का भी अवलोकन किया गया। उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया कि प्रशासी विभाग विधि विभाग की स्पष्ट राय इस बिन्दु पर प्राप्त करेगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के मद्देनजर one time settlement की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी कि अगर विधि विभाग की यह राय प्राप्त होती है कि one time settlement की कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वैसी परिस्थिति में इन पदों के लिए निगम में स्वीकृत वेतनमान के बराबर वेतनमान वाले राज्य सरकार में स्वीकृत तथा रिक्त पदों पर समायोजन की कार्रवाई की जा सकती है।

- (iii) उच्च स्तरीय समिति की दिनांक-24.11.2012 की बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में प्रशासी विभाग के द्वारा पुनः विधि विभाग से इस बिन्दु पर स्पष्ट वैधिक राय देने हेतु अनुरोध किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के मद्देनजर इन कर्मियों के one time settlement की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। विधि विभाग के द्वारा दिनांक-26.11.2012 को निम्नलिखित वैधिक राय दी गई-

Opinion

Kindly recall the order passed by the Hon'ble Supreme Court dated 24th August 2011, in which following order has been passed :-

"In view of the aforesaid fact that all the employees of the Corporation, which was allotted to the State to Jharkhand have been duly absorbed in the service of the State Government there."

It has also been informed that a modification petition of this order was filed by the State of Jharkhand which has been rejected; as such the order of Hon'ble Supreme Court dated 24th August, 2011 has taken its finality.

The State of Jharkhand has no other option, but to take appropriate steps for absorbing such employees. The question of one time settlement does not arise in view of the Hon'ble Supreme Court order.

In view of the above, it is proper and advisable to take appropriate step to absorb the employee.

इस प्रकार उक्त वैधिक राय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में अब one time settlement का विकल्प नहीं खुला है। निगम कर्मियों के समायोजन ही समुचित विकल्प है।

7. उक्त के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के दिनांक- 28.02.2009 को विभाजनोपरान्त अनुपातिक रूप से झारखंड राज्य को प्राप्त कर्मियों की सेवा राज्य सरकार के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर समायोजन की स्वीकृति हेतु संलेख तैयार किया गया एवं इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति एवं सुझावों के अनुसार संशोधित करते हुए प्रस्ताव तत्कालीन परामर्शी परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया। परिवहन विभाग संलेख ज्ञापांक-444 दिनांक-09.05.2013 में तदनुरूप प्रस्तावों पर दिनांक-20.05.2013 को परामर्शी परिषद् की बैठक में निम्नलिखित शर्त सहित स्वीकृति प्रदान की गई -

इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि समायोजन हेतु गठित संदर्भित उच्चस्तरीय समिति द्वारा ही वैसे कुल 426 कर्मियों, जिनके वेतनमानों के अनुरूप राज्य सरकार/क्षेत्रीय कार्यालयों में पद उपलब्ध नहीं है, उन्हें निगम में स्वीकृत वेतनमान के बराबर वेतनमान वाले राज्य सरकार/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर समायोजन की कार्रवाई करने संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाय। समायोजन की प्रक्रिया के निर्धारण करने के समय विशेष रूप से राज्य सरकार/क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता/अर्हता एवं संबंधित कर्मियों की कार्यक्षमता को भी ध्यान में रखा जाय।

8. परामर्शी परिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के दिनांक-28.02.2009 को विभाजनोपरान्त अनुपातिक रूप से झारखंड राज्य को प्राप्त कर्मियों की सेवा राज्य सरकार के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर समायोजन की स्वीकृति के संबंध में संकल्प संख्या-598 दिनांक-06.06.2013 निर्गत किया गया एवं यह संकल्प झारखंड गजट में गजट संख्या-362 दिनांक-07.06.2013 के रूप में प्रकाशित किया गया।

9. निगम कर्मियों की सेवा के समायोजन के संबंध में परामर्शी परिषद् के निर्णय के अनुपालन में सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में अन्य सदस्यों यथा - प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक दिनांक-20.08.2013 में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस स्क्रीनिंग समिति को परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-362 दिनांक-07.06.2013 में अंकित कर्मियों के समायोजन हेतु आवश्यक अनुशंसा देने हेतु प्राधिकृत किया गया।
10. स्क्रीनिंग समिति विभागीय अधिसूचना संख्या-930 दिनांक-24.08.2013 द्वारा गठित की गई जिसमें श्री प्रमोद कुमार तिवारी, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अध्यक्ष, श्री राम करण राम, संयुक्त परिवहन आयुक्त तथा श्री नागेन्द्र चौधरी, अवर सचिव, वित्त विभाग सदस्य बनाये गये। स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-17.09.2013 में संकल्प में अंकित सभी 609 कर्मियों में से पूर्व से समायोजन हेतु अनुशंसित 107 कर्मियों को छोड़कर शेष 502 कर्मियों के समायोजन के संबंध में विचार किया गया। उक्त तिथि तक शेष 502 कर्मियों में से 35 कर्मियों के सेवानिवृत्त/मृत हो जाने के फलस्वरूप कुल 467 कर्मियों के पदस्थापन स्थान सहित समायोजन हेतु निम्नलिखित अनुशंसायें दी गई -
1. झारखंड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडिएट उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः वैसे निगम कर्मी, जो निगम के अधीन राज्य सरकार के समूह 'ग' पदों के समतुल्य वेतनमान अथवा इससे अधिक वेतनमान में कार्यरत रहे हैं तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रही हो, उन्हें राज्य के अधीन समूह 'ग' के पदों पर समायोजित किया जाय।
 2. वैसे निगम कर्मी, जो निगम के अधीन समूह 'ग' के समतुल्य वेतनमानों में कार्यरत रहे हों, तथा राज्य के अधीन लिपिक संवर्ग में भर्ती हेतु वांछित इंटरमिडिएट योग्यता धारित नहीं करते हैं, परन्तु राज्य सरकार के अधीन समूह 'घ' के पदों पर भर्ती पर मैट्रिक योग्यता धारित करते हों उन्हें समूह 'घ' के पदों पर समायोजित किया जाय।

4. वैसे निगम कर्मी, जो निगम के अधीन समूह 'ग एवं घ' के पदों एवं वेतनमानों में कार्यरत रहे हैं, परंतु राज्य के अधीन समूह 'घ' के पदों पर भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण धारित नहीं करते हैं, वे राज्य सरकार के अधीन भर्ती के योग्य नहीं हैं। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगम के सभी कर्मियों को समायोजित करने का निदेश है, अतएव उक्त कर्मियों के समायोजन का प्रस्ताव समूह 'घ' के पदों पर इस शर्त के साथ गठित करने का निर्णय लिया गया कि वैसे कर्मियों के समायोजन संबंधी आदेश निर्गम से पूर्व शैक्षणिक योग्यता क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
5. निगम के वैसे कर्मी, जिनके विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्यवाही संचालित है, अथवा निलंबित है, उन्हें उसी रूप में समायोजित करने संबंधी प्रस्ताव गठित करने का निर्णय लिया गया। अर्थात् जो निगम कर्मी निलंबित है, वे निलंबनावस्था में ही समायोजित होंगे तथा विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही यथा रूप संचालित रहेगी। इन कार्यवाहियों के फलाफल एवं निलंबन के आधार पर प्राप्त दण्ड से उक्त कर्मियों का समायोजन प्रभावित होगा।
6. निगम के वैसे चालक, जो कार्य करने के योग्य हैं, उन्हें राज्य सरकार के अधीन चालक के पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। उक्त चालकों के समायोजन से पूर्व मेडिकल बोर्ड से उनकी चिकित्सीय जांच अवश्य करा ली जायेगी।
7. उक्त निर्णयों के आलोक में समायोजन संबंधी अनुशंसा निम्नलिखित अनुसूचियों में अंकित है :-
 - क) अनुसूची 2 - वैसे 13 कर्मियों की सूची, जिन्हें निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर समायोजित करने की अनुशंसा है। उक्त सभी कर्मी इंटरमिडिएट उत्तीर्ण अथवा इससे उपर की शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं।
 - ख) अनुसूची 3 - 62 चालकों की सूची जिन्हे विभिन्न कार्यालयों में चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सीय जाँच के बाद समायोजित करने की अनुशंसा है।
 - ग) अनुसूची 4 - वैसे 227 कर्मियों के समायोजन से संबंधी अनुशंसा जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा अधिक है तथा वे निगम के अधीन राज्य सरकार के

समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों के समतुल्य वेतनमानों में कार्यरत रहे हैं तदनुसार उन्हें चतुर्थ वर्ग के पदों पर समायोजन की अनुशंसा है।

घ) अनुसूची 5 - वैसे 8 कर्मियों की सूची जो निगम के अधीन लिपिक कोटि के वेतनमानों में कार्यरत रहे हैं परन्तु उनके द्वारा राज्य के अधीन लिपिक कोटि में भर्ती हेतु इंटरमिडिएट धारित नहीं की जाती है तदनुसार उन्हें विभिन्न कार्यालयों में समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों पर समायोजित करने की अनुशंसा है।

ङ) अनुसूची 6 - वैसे 157 कर्मियों की सूची जो मैट्रिक उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तथा जिन्हें समिति का निर्णय कंडिका 4 में अंकित शर्तों के अधीन राज्य के अधीन समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों पर समायोजित करने की अनुशंसा है।

8. समायोजन पर विचारण के क्रम में विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त रिक्तियाँ एवं उक्त पदों के विरुद्ध समायोजन हेतु उपलब्ध कर्मियों की संख्या के अनुपात के आधार पर विभिन्न विभागों/कार्यालयों में समायोजन निमित्त पदों की संख्या निर्धारित की गई है। विचारण की तिथि तक 35 कर्मी (अनुसूची-7) सेवानिवृत्त अथवा मृत हो चुके थे तदनुसार उन्हें विचारण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

समायोजित कर्मी समायोजन के संवर्ग में अपने आरक्षण कोटि के अनुसार पदों को धारित करेंगे। किसी कोटि के कर्मी की अधिकता की स्थिति में उनका समायोजन आगामी रिक्तियों में किया जायेगा।

9. स्क्रीनिंग समिति की उक्त अनुशंसा पत्रांक-1009 दिनांक-21.09.2013 द्वारा उच्चस्तरीय समिति को समर्पित किया गया। उच्चस्तरीय समिति की बैठक दिनांक-24.10.2013 में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए कर्मियों को नियुक्ति (समायोजन) करने की अनुशंसा निम्नरूपेण की गई -

i) स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिवेदन की कंडिका-7(क) में वर्णित 10 कर्मियों की सूची (अनुसूची-2) जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडिएट उत्तीर्ण अथवा इससे उपर की है तथा जिन्हें स्क्रीनिंग समिति द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के

पदों पर नियुक्ति (समायोजन) करने की अनुशंसा है, उनको निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित विभागों/कार्यालयों में नियुक्ति (समायोजन) करने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

- ii) स्क्रीनिंग समिति के प्रतिवेदन की कंडिका-7(ख) में वर्णित चालकों की सूची (अनुसूची-3) जिन्हे विभिन्न कार्यालयों में चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सकीय जाँच के बाद नियुक्ति (समायोजन) करने की स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा है। स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित चालकों की अनुसूची-3 पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सूची के क्र०सं०-1, 6, 9, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 46, एवं 47 (कुल 11) को झारखंड सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या-6/एस-(वे०पु०)-04/2011-1859/वि० दिनांक-02.09.2011 के आलोक में उनके नाम के आगे वर्णित कार्यालयों/विभागों में नियुक्ति (समायोजन) की स्वीकृति दी जाती है। संबंधित प्रशासी पदाधिकारी समायोजन के पूर्व नियुक्ति (समायोजन) होने वाले चालकों की चिकित्सकीय जाँच मेडिकल बोर्ड से कराकर ही नियुक्ति (समायोजन) /योगदान स्वीकृत करेंगे।

शेष चालकों के नियुक्ति (समायोजन) के संबंध में वांछित शैक्षणिक अर्हता नहीं रहने के कारण नियुक्ति (समायोजन) नहीं करने का निर्णय लिया गया।

- iii) स्क्रीनिंग समिति के प्रतिवेदन की कंडिका-7(ग) में वर्णित कमियों (अनुसूची-4) जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा अधिक है तथा वे निगम के अधीन राज्य सरकार के समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों के समतुल्य वेतनमानों में कार्यरत रहे हैं तथा जिन्हे चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा नियुक्ति (समायोजन) की अनुशंसा की गई है, उन्हें स्क्रीनिंग समिति द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में अनुशंसित अनुसूची-4 के अनुरूप चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति (समायोजन) हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।
- iv) स्क्रीनिंग समिति के प्रतिवेदन की कंडिका-7(घ) में वर्णित 8 कर्मियों की सूची (अनुसूची-5) जो निगम के अधीन लिपिक कोटि के वेतनमानों में कार्यरत रहे हैं परन्तु उनके द्वारा राज्य के अधीन लिपिक कोटि में भर्ती हेतु इंटरमिडिएट धारित नहीं की जाती है तदनुसार उन्हें विभिन्न कार्यालयों में समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों पर नियुक्ति (समायोजन) करने की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, जिसके आलोक में

समिति द्वारा अनुसूची-5 के अनुरूप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियुक्ति (समायोजन) करने की सहमति प्रदान की गई।

- v) स्क्रीनिंग समिति के प्रतिवेदन की कंडिका-7(ड) में वर्णित 157 कर्मियों की सूची (अनुसूची-6) जो मैट्रिक उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तथा जिन्हें समिति का निर्णय कंडिका 4 में अंकित शर्तों के अधीन राज्य के अधीन समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों पर नियुक्ति (समायोजन) करने हेतु स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। इसपर समिति द्वारा निम्न रूप से सहमति प्रदान की गई -

समिति द्वारा वित्त विभाग के पत्र संख्या-6/एस-वे०पु०)- 04/2011- 1859/वि० दिनांक-02.09.2011 के आलोक में अनुसूची-6 में वैसे कर्मी जिनकी शैक्षणिक अर्हता दशम उत्तीर्ण है उनका नियुक्ति (समायोजन) करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार सूची के क्र०सं०-1, 21, 25, 27, 28, 36, 53, 54, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 86, 90, 92, 106, 134, 139, 145, 146 एवं 154 (कुल 27) कर्मियों को उनके नाम के आगे वर्णित कार्यालय/विभाग में समूह 'घ' (चतुर्थ वर्ग) के पदों पर नियुक्ति (समायोजन) करने की स्वीकृति दी जाती है। शेष कर्मी जिनकी शैक्षणिक योग्यता दशम उत्तीर्ण नहीं है उनके नियुक्ति (समायोजन) के संबंध में विचार नहीं किया गया।

- vi) समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि स्क्रीनिंग समिति के प्रतिवेदन की कंडिका-5 के आलोक में जो कर्मी निलंबित है या जिनपर विभागीय कार्यवाही चल रही है, उनपर चल रही विभागीय कार्यवाही को निष्पादन करने के उपरांत उनके स्वच्छता प्रमाण-पत्र के साथ उनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। प्रशासी विभाग यथाशीघ्र संबधित कर्मियों की विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

- vii) ऐसे सभी कर्मी जिनके नियुक्ति (समायोजन) पर सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता पूरी नहीं करने के कारण विचार नहीं किया जा सका, उनके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I.A. No. 8,10-13, 15&16 IN CIVIL APPEAL NO. 7290 OF 1994 में दिनांक-12.08.2008 को पारित निर्णयादेश के आलोक में Industrial Dispute Act के तहत समिति अलग से विचार करेगी।

- viii) संकल्प संख्या-598 दिनांक-06.06.2013 द्वारा जिन कर्मियों की सेवा नियुक्ति (समायोजन) करने की स्वीकृति दी गई है, उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक

योग्यता/अर्हता को दृष्टिक्रम में रखा जायेगा। ऐसी शैक्षणिक योग्यता/अर्हता नहीं रखने वाले कर्मियों के संबंध में कंडिका-7 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

- ix) सभी नियुक्ति (समायोजन) कर्मी नई पेंशन योजना (NPS) जो दिसम्बर, 2004 से प्रभावी है, से आच्छादित होंगे।
- x) उपरोक्त कंडिका 1 से 5 में उल्लेखित कर्मियों का नियुक्ति (समायोजन) संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत संबंधित कर्मियों द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।
- xi) उपरोक्त कंडिका 1 से 5 में उल्लेखित कर्मियों के नियुक्ति (समायोजन) के उपरांत संबंधित कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें देय होगी। संबंधित कर्मियों का राज्य सरकार में सेवा नियुक्ति (समायोजन) हो जाने पर वित्त विभाग, झारखंड द्वारा देय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण तथा निर्धारण कर वेतन भुगतान किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नियुक्ति (समायोजन) पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।
- xii) नियुक्ति (समायोजन) करने वाले कार्यालय संबंधित कर्मियों के मूल कागजात का सत्यापन करने के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता पूरी करने पर ही एवं इनका मिलान इनके निर्गत करने वाले कार्यालय से संपुष्ट कराकर पदस्थापन की कार्रवाई करेंगे।
- xiii) नियुक्ति (समायोजन) होने वाले सभी कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने मूल कागजात के साथ नियुक्ति (समायोजन) होने वाले कार्यालय में विभागाध्यक्ष को अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

10. उच्चस्तरीय समिति उक्त निर्णय के आलोक में कुल 340 (तीन सौ चालीस) कर्मियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपायुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ जिला परिवहन कार्यालयों में नियुक्ति (समायोजन) हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-127 संसूचित ज्ञापांक-1138 दिनांक-31.10.2013, का०आ०सं०-128, संसूचित ज्ञापांक-1139 दिनांक-31.10.2013, का०आ०सं०-129, संसूचित ज्ञापांक-1140 दिनांक-31.10.2013, का०आ०सं०-130, संसूचित ज्ञापांक-1141 दिनांक-31.10.2013, का०आ०सं०-131, संसूचित ज्ञापांक-1142 दिनांक-31.10.2013, का०आ०सं०-132, संसूचित ज्ञापांक-1143 दिनांक-31.10.2013 एवं का०आ०सं०-133, संसूचित ज्ञापांक-1144 दिनांक-31.10.2013 निर्गत किया गया है।

11. वर्तमान में नियुक्ति(समायोजन) हेतु विचारित कुल 609 कर्मियों में से 340 कर्मों की नियुक्ति (समायोजन) हेतु निदेशित किये गये हैं। 16 कर्मों जिनपर विभागीय कार्यवाही चल रही है तथा 65 कर्मों दिनांक-30.06.2014 तक सेवानिवृत्त/मृत हो चुके हैं एवं 188 कर्मों योग्यता पूरा नहीं करने के कारण असमायोजित है।

इन असमायोजित कर्मियों को समायोजित करने हेतु राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को छोड़कर शेष कुल 204 राज्य पथ परिवहन निगम के वैसे निगम कर्मियों जिन्हें विभागीय कार्यवाही एवं समूह 'घ' के पदों पर भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण धारित नहीं करते हैं, को दिनांक-03.07.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt petiton (Civil No. (S) 411 of 2013 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 2001 में पारित आदेश के आलोक में नियुक्त (समायोजित) किये जाने का निर्णय लिया है (कर्मियों की सूची संलग्न है)। इस निर्णय पर दिनांक-25.08.2014 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-24 के रूप में स्वीकृति प्रदत्त है।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1859 वि० दिनांक-02.09.2011 की कंडिका-8 के अनुसार समूह-घ के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दशवीं उत्तीर्ण है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt petiton (S) Civil No. (S) 411 of 2013 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 2001 में दिनांक-03.07.2014 को पारित आदेश के आलोक में 204 कर्मियों में से 201 कर्मियों को समूह-घ के पदों पर नियुक्ति (समायोजित) करने हेतु निर्धारित विहित शैक्षणिक योग्यता **मैट्रिक उत्तीर्ण** एवं निर्धारित उम्र को शिथिल करने एवं 3 कर्मियों जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक/इंटरमिडिएट है उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति (समायोजित) करने हेतु निर्धारित उम्र को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,

सचिव

परिवहन विभाग ।

राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों की सूची

क्र० सं०	नाम	पदनाम/ संवर्ग	शैक्षणिक योग्यता	चतुर्थ वेतनमान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति (समायोजन) के लिए अनुशंसित पद / विभाग / कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री राम बाबू पासवान	चालक	सप्तम	975-1540	16-05-1961	31-05-2021	
2	मो. सुलेमान	चालक	सप्तम	975-1540	18-01-1955	31-01-2015	
3	श्री सुरेन्द्र सिंह	चालक	साक्षर	975-1540	23-09-1956	30-09-1916	
4	श्री भोला प्रसाद	चालक	सप्तम	975-1540	31-12-1961	31-12-2021	
5	श्री रामेश्वर महतो	चालक	सप्तम	975-1540	13-02-1956	29-02-2016	
6	मो० उमर	चालक	नवम	975-1540	20-02-1955	28-02-2015	
7	श्री रमाकांत चौधरी	चालक	साक्षर	975-1540	04-12-1955	31-12-2015	
8	श्री गौरी शंकर प्रसाद	चालक	नन मैट्रिक	975-1540	15-06-1955	30-06-2015	
9	मो. जावेद अख्तर	चालक	षष्ठम	975-1540	18-01-1962	31-01-2022	
10	श्री अवधेश कुमार	चालक	साक्षर	975-1540	01-08-1956	31-07-1916	
11	श्री विजय कुमार	चालक	सप्तम	975-1540	05-06-1959	30-06-2019	
12	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह	चालक	साक्षर	975-1540	06-09-1955	30-09-2015	
13	श्री सकलदेव राय	चालक	सप्तम	975-1540	05-01-1955	31-01-2015	
14	मो० नसीर	चालक	सप्तम	975-1540	26-01-1958	31-01-2018	
15	श्री सदानन्द यादव	चालक	नवम	975-1540	12-03-1959	31-03-2019	
16	मो० सुहैल	चालक	सप्तम	975-1540	07-01-1955	31-01-2015	
17	श्री विपिन चन्द्र घोष	चालक	सप्तम	975-1540	02-02-1957	28-02-2017	

18	मो0 असलम	चालक	षष्टम	975-1540	15-03-1955	31-03-2015	
19	श्री राम नरेश सिंह	चालक	सप्तम	975-1540	07-09-1955	30-09-2015	
20	मो0 अकील अहमद खॉ	चालक	सप्तम	975-1540	11.03.1963	31-03-2023	
21	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	चालक	साक्षर	975-1540	18-05-1961	31-05-2021	
22	श्री नुनमनी सिंह	चालक	साक्षर	975-1540	12-03-1958	31-03-2018	
23	श्री लाल बाबू	चालक	सप्तम	975-1540	30-06-1955	30-06-2015	
24	श्री सुभाष सिंह	चालक	अष्टम	975-1540	14-12-1958	31-12-2018	
25	श्री उत्तम शर्मा	चालक	अष्टम	975-1540	02-04-1958	30-04-2018	
26	श्री राम चन्द्र राम	चालक	सप्तम	975-1540	24-03-1956	31-03-2016	
27	श्री नरेश राय	चालक	सप्तम	975-1540	14-07-1960	31-07-2020	
28	श्री छोटन सिंह	चालक	अष्टम	975-1540	01-06-1955	31-05-1915	
29	श्री लखन प्रसाद	चालक	सप्तम	975-1540	01-01-1956	30-09-2016	
30	श्री राम अयोध्या सिंह	चालक	अष्टम	975-1540	03-01-1956	31-01-2016	
31	श्री कृष्णा प्रसाद सिंह	चालक	अष्टम	975-1540	01-02-1957	31-01-2017	
32	श्री श्याम बिहारी दूबे	चालक	नवम	975-1540	05-03-1962	31-03-1922	
33	श्री खालीद इमाम	चालक	षष्टम	975-1540	25-03-1956	31-03-1916	
34	श्री समरजीत कु0 सिंह	चालक	अष्टम	975-1540	01-08-1961	31-07-2021	
35	श्री जगत सिंह	चालक	सप्तम	975-1540	08-06-1955	30-06-2015	
36	श्री दिलेश्वर मिंज	हेल्पर	सप्तम	950-1500	01-02-1959	31-01-2019	
37	श्री हरि राम सोरेन	हेल्पर	पंचम वर्ग	950-1500	20-10-1963	31-10-2023	
38	श्री दामू हेसा	सुरक्षा रक्षक	षष्टम वर्ग	950-1400	10-12-1957	31-12-2017	
39	श्री रघुनी पासवान	मैकेनिक-सी०	षष्टम वर्ग	1200-1800	14-12-1954	31-12-2014	
40	श्री रमेश चन्द्र चौधरी	आर्टिजन-सी०	साक्षर	1200-1800	25-11-1954	30-11-2014	

41	श्री योगेन्द्र रजक	आर्टिजन-सी०	अशिक्षित	1200-1800	19-09-1961	30-09-2021	
42	श्री कामेश्वर रजक	आर्टिजन-सी०	सप्तम वर्ग	1200-1800	16-09-1960	30-09-2020	
43	श्री भोला राम	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	03-02-1960	29-02-2020	
44	श्री महेन्द्र रजक	हेल्पर	सप्तम वर्ग	950-1500	15-02-1962	28-02-2022	
45	श्री जय प्रकाश पासवान	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	14-07-1957	31-07-2017	
46	श्री अविनाश महथा	हेल्पर	नन मैट्रिक	950-1500	03-03-1955	31-03-2015	
47	श्री जगेश्वर चौधरी	हेल्पर	चतुर्थ	950-1500	21-10-1962	31-10-2022	
48	मो० कलाम अंसारी	हेल्पर	साक्षर	950-1500	30-04-1954	30-09-2014	
49	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	हेल्पर	नवम	950-1500	21-04-1956	30-04-2016	
50	श्री दिलीप साव	हेल्पर	साक्षर	950-1500	03-12-1959	31-12-2019	
51	श्री रामजी विश्वकर्मा	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	08-01-1962	31-01-2022	
52	श्री युगेश्वर मिस्त्री	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	04-08-1958	31-08-2018	
53	श्री रामू मिस्त्री	हेल्पर	साक्षर	950-1500	23-09-1959	30-09-2019	
54	श्री लालजी प्रसाद	हेल्पर	नवम	950-1500	11-07-1962	31-07-2022	
55	श्री राम सोहावन सिंह	हेल्पर	नवम	950-1500	01-09-1960	31-08-2020	
56	श्री राम दयाल ठाकुर	हेल्पर	सप्तम	950-1500	30-11-1961	30-11-2021	
57	श्री सुरेश प्रसाद	हेल्पर	सप्तम	950-1500	24-02-1963	28-02-1923	
58	श्री उपेन्द्र महतो	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	15-05-1962	31-05-2022	
59	श्री मदन किशोर	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	06-01-1963	31-01-2023	
60	श्री राम प्रवेश शर्मा	हेल्पर	सप्तम	950-1500	02-01-1963	31-01-2023	
61	श्री सचिदानन्द सिंह	हेल्पर	सातबाँ	950-1500	15-08-1963	31-08-2020	
62	श्री शंकर	हेल्पर	नवम वर्ग	950-1500	22-12-1962	31-12-2022	

	विश्वकर्मा						
63	श्री राम चन्द्र प्रसाद	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	08-02-1962	29-02-2020	
64	श्री राम चन्द्र कामती	हेल्पर	नवम वर्ग	950-1500	04-02-1962	28-02-2022	
65	श्री महेन्द्र प्रसाद- II	हेल्पर	सप्तम	950-1500	09-06-1962	30-06-2022	
66	श्री श्याम सुन्दर नोनिया	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	15-08-1958	31-08-2018	
67	श्री मुसो राउत	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	08-05-1959	31-05-2019	
68	गणेश प्रसाद	कैन्टीन व्याय	सप्तम	775-1025	01-01-1961	31-12-2020	
69	श्री हरि प्रसाद राय	सुरक्षा रक्षक	अष्टम	950-1400	02-01-1957	31-01-2017	
70	श्री परमानन्द राम	आर्टिजन-सी०	साक्षर	1200-1800	02-04-1958	30-04-2018	
71	श्री जगदीश महतो	पीकर	सप्तम वर्ग	775-1025	25-01-1962	31-01-2022	
72	मो० मकसूद आलम	हेल्पर	तीसरा	950-1500	18-10-1954	31-10-2014	
73	मो० असलम	हेल्पर	छठा	950-1500	12-01-1955	31-01-2015	
74	मो० नबी	हेल्पर	साक्षर	950-1500	01-07-1955	30-06-2015	
75	श्री शिव कुमार विश्वकर्मा	हेल्पर	अष्टम	950-1500	15-01-1959	31-01-2019	
76	मो० अफताब आलम	हेल्पर	अष्टम वर्ग	950-1500	06-11-1956	30-11-2016	
77	श्री वली आलम	हेल्पर	साक्षर	950-1500	05-01-1962	31-01-2022	
78	मो० नेहाल खॉ	हेल्पर	अष्टम वर्ग	950-1500	05-03-1960	31-03-2020	
79	श्री अरविन्द कुमार	हेल्पर	नवम	950-1500	03-03-1961	31-03-2021	
80	श्री मान सिंह	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	12-05-1958	31-05-2018	
81	श्री देव नन्दन शर्मा	हेल्पर	चौथा	950-1500	25-09-1959	30-09-2019	
82	श्री सुरेश प्रसाद मंडल	हेल्पर	षष्ठम वर्ग	950-1500	01-12-1956	30-11-2016	
83	श्री लाल बाबू	हेल्पर	नन मैट्रिक	950-1500	07-07-1956	31-07-2016	

	प्रसाद						
84	मा० ताहीर खान	हेल्यर	नवम	950-1500	04-06-1962	30-06-2022	
85	श्री लक्ष्मण प्रसाद	हेल्यर	साक्षर	950-1500	20-10-1957	31-10-2017	
86	श्री राम चन्द्र सिंह	हेल्यर	सातबाँ	950-1500	01-05-1958	30-04-2018	
87	मो० मिस्वा आलम	हेल्यर	सप्तम वर्ग	950-1500	25-12-1958	31-12-2018	
88	मो० खलील अहमद	हेल्यर	सातबाँ	950-1500	01-01-1961	31-12-2020	
89	श्री काली भगत	हेल्यर	साक्षर	950-1500	04-03-1959	31-03-2019	
90	श्री अशोक कुमार सिंह	हेल्यर	नवम	950-1500	29-01-1960	31-01-2020	
91	श्री काशी नाथ तिवारी	हेल्यर	अष्टम वर्ग	950-1500	01-06-1960	31-05-2020	
92	श्री जुगजीत सिंह	हेल्यर	सप्तम	950-1500	02-05-1960	31-05-2020	
93	श्री मन्नु प्रसाद	हेल्यर	सप्तम	950-1500	28-07-1960	31-07-2020	
94	मो० अब्दुल खालीक	हेल्यर	सातबाँ	950-1500	12-01-1959	31-01-2019	
95	श्री शशि भूषण कुमार	हेल्यर	सातबाँ	950-1500	02-05-1961	31-05-2021	
96	श्री प्रताप सिंह	हेल्यर	षष्टम वर्ग	950-1500	09-01-1963	31-01-2023	
97	श्री गणेश साव	हेल्यर	सप्तम वर्ग	950-1500	12-02-1958	28-02-2018	
98	श्री पारस नाथ साह	हेल्यर	सप्तम वर्ग	950-1500	19-01-1962	31-01-2022	
99	मो० अमानुद्दीन	हेल्यर	साक्षर	950-1500	02-01-1964	31-01-2024	
100	मो कयास अहमद	हेल्यर	साक्षर	950-1500	26-03-1955	31-03-2015	
101	श्री तारा कांत ठाकुर	हेल्यर	षष्टम वर्ग	950-1500	31-12-1958	31-12-2018	
102	श्री लाल बाबू	हेल्यर	सप्तम वर्ग	950-1500	15-01-1963	31-01-2023	
103	श्री अनिल कुमार झा	हेल्यर	नन मैट्रिक	950-1500	15-08-1961	31-08-2021	
104	श्री देवेन्द्र झा	हेल्यर	नन मैट्रिक	950-1500	01-02-1955	31-01-2015	
105	श्री ललन प्रसाद	हेल्यर	सप्तम	950-1500	18-05-1962	31-05-2022	

106	श्री रामाशीष भगत	हेल्पर	सप्तम	950-1500	21-08-1954	31-08-2014	
107	श्री अरूण कुमार चौबे	हेल्पर	तृतीया	950-1500	03-04-1960	30-04-2020	
108	श्री शिवू	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	01-02-1962	31-01-2022	
109	मो० हसन	हेल्पर	तृतीया	950-1500	15-03-1963	31-03-2023	
110	मो० गुलशेर खॉ	हेल्पर	अष्टम	950-1500	15-01-1964	31-01-2024	
111	श्री राम भजन मंडल	हेल्पर	सप्तम	950-1500	05-05-1962	31-05-2022	
112	श्री लाल बाबू	हेल्पर	नवम	950-1500	15-01-1963	31-01-2023	
113	मो० मतीबूर रहमान	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	13-01-1964	31-01-2024	
114	श्री फिरोज अहमद	हेल्पर	सप्तम	950-1500	10-01-1957	31-01-2017	
115	मो० अकील अहमद	हेल्पर	सप्तम	950-1500	03-02-1963	28-02-2023	
116	श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह	हेल्पर	साक्षर	950-1500	31-03-1961	31-03-2021	
117	श्री राधा सिंह	हेल्पर	नन मैट्रिक	950-1500	02-03-1956	31-03-2016	
118	श्री रामाशंकर मिश्रा	हेल्पर	अष्टम	950-1500	05-02-1960	29-02-2020	
119	मो० अब्दुल रहीम	हेल्पर	अष्टम	950-1500	10-07-1955	31-07-2015	
120	श्री कमल कांत ठाकुर	हेल्पर	अष्टम	950-1500	20-03-1961	31-03-2021	
121	श्री अर्जून राय	हेल्पर	षष्ठम वर्ग	950-1500	01-01-1956	31-12-2015	
122	श्री नारायण सिंह	हेल्पर	सप्तम वर्ग	950-1500	11-07-1959	31-07-2019	
123	श्री रामाकांत चौधरी	हेल्पर	नन मैट्रिक	950-1500	12-01-1959	31-01-2019	
124	श्री रेबती रमण झा	हेल्पर	नौवां	950-1500	03-11-1956	30-11-2016	
125	श्री विरोज कुमार	हेल्पर	नवम	950-1500	04-02-1961	28-02-2021	
126	श्री प्यारे राम	हेल्पर	नौवां	950-1500	01-05-1959	30-04-2019	
127	श्री गोपाल प्रसाद	हेल्पर	सप्तम वर्ग	950-1500	20-04-1960	30-04-2020	
128	मो० मुस्तकीम	हेल्पर	सप्तम वर्ग	950-1500	05-02-1958	28-02-2018	

	आलम						
129	श्री सईदुर रहमान	हेल्पर	नवम	950-1500	08-09-1960	30-09-2020	
130	श्री प्रदीप कुमार पाण्डे	हेल्पर	सप्तम वर्ग	950-1500	30-11-1960	30-11-2020	
131	श्री काशी सोनार	हेल्पर	चतुर्थ	950-1500	05-03-1963	31-03-2023	
132	श्री मोहन विश्वकर्मा	हेल्पर	सप्तम	950-1500	05-02-1962	28-02-2022	
133	श्री गंगाधर झा	हेल्पर	नवाँ	950-1500	07-08-1955	31-08-2015	
134	मो० शरीफुद्दीन	हेल्पर	साक्षर	950-1500	01-09-1954	31-08-2014	
135	श्री चिंता मणि कुमार सहाय	हेल्पर	साक्षर	950-1500	05-04-1958	30-04-2018	
136	श्री प्रभात कुमार सिंह	हेल्पर	नन मैट्रिक	950-1500	03-09-1958	30-09-2018	
137	श्री रविन्द्र नाथ मुखर्जी	हेल्पर	आठवाँ	950-1500	11-12-1961	31-12-2021	
138	श्री अवधेश लाल	हेल्पर	नौवाँ	950-1500	26-02-1959	28-02-2019	
139	श्री भगवान दत्त	हेल्पर	सातवाँ	950-1500	13-10-1961	31-10-2021	
140	श्री राम बहादुर यादव	हेल्पर	आठवाँ	950-1500	17-02-1963	28-02-2023	
141	श्री अरविन्द कुमार सिंह	हेल्पर	नन मैट्रिक	950-1500	28-12-1958	31-12-2018	
142	श्री पारस नाथ सिन्हा	कैन्टीन व्याय	सप्तम	775-1025	05-11-1956	30-11-2016	
143	श्री मो० मसरुर तौहीद	सुरक्षा रक्षक	सप्तम	950-1400	08-12-1959	31-12-2019	
144	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	सुरक्षा रक्षक	नवम	950-1400	04-01-1960	31-01-2020	
145	श्री सुधीर थोमस	सुरक्षा रक्षक	सप्तम	950-1400	26-01-1968	31-01-2028	
146	श्री अरुण कुमार वर्मा	सुरक्षा रक्षक	अष्टम	950-1400	05-12-1960	31-12-2020	
147	श्री मुन्ना लाल भक्ता	सुरक्षा रक्षक	नन-मैट्रिक	950-1400	07-05-1958	31-05-2018	
148	श्री मुन्ना शर्मा	सुरक्षा रक्षक	सातवाँ	950-1400	08-01-1961	31-01-1921	

149	मो० शेख बहाउद्दीन	सम्वाहक	नन मैट्रिक	950-1500	26-07-1961	31-07-1921	
150	श्री प्रवीर कुमार हलधर	यात्री लिपिक	नन मैट्रिक	950-1500	17-08-1958	31-08-2018	
151	श्री सुरेन्द्र चौधरी	सम्वाहक	नवीन उत्तर मध्यमा	950-1500	17-11-1960	30-11-2020	
152	श्री सुरज सहनी	पी. आर. ओ. V	नन मैट्रिक	950 - 1400	10-01-1957	31-01-2017	
153	श्री राम विलास विन्द	आदेशपाल	नन मैट्रिक	775-1025	07-11-1954	30-11-2014	
154	श्री सुरेश रजक	आदेशपाल	नन मैट्रिक	775-1025	23-12-1954	31-12-2014	
155	मो० गुलफाम खाँ	आदेशपाल	नन मैट्रिक	775-1025	10-03-1959	31-03-2019	
156	श्री सागर कांडिल	आदेशपाल	नवम	775-1025	05-03-1958	31-03-2018	
157	श्री सुवे लाल पासवान	आदेशपाल	नन मैट्रिक	775-1025	11-03-1955	31-03-2015	
158	श्री राम कृपाल दास	आदेशपाल	साक्षर	775-1025	24-11-1959	30-11-2019	
159	श्री अर्जून प्रसाद	आदेशपाल	सप्तम	775-1025	05-01-1958	31-01-2018	
160	श्री झगरू मंडल	आदेशपाल	नवम	775-1025	01-09-1959	31-08-2019	
161	श्री सुरेन्द्र राम	आदेशपाल	चतुर्थ	775-1025	02-09-1962	30-09-2022	
162	श्री जगेश्वर महतो	आदेशपाल	सातवा	775-1025	02-02-1961	28-02-2021	
163	श्री अशोक कुमार दास	आदेशपाल	षष्ठम	775-1025	18-07-1959	31-07-2019	
164	श्री राजेन्द्र मिश्रा	आदेशपाल	सातवा	775-1025	01-01-1961	31-12-2020	
165	श्री राम वहाल सिंह	आदेशपाल	सातवा	775-1025	10-01-1956	31-01-2016	
166	श्री अर्जून दास	आदेशपाल	पंचम	775-1025	02-03-1962	31-03-2022	
167	श्री रकिशोल मुर्मु	आदेशपाल	सातवा	775-1025	15-05-1962	31-05-2022	
168	श्री दासो रजक	आदेशपाल	पंचम	775-1025	04-03-1962	31-03-2022	
169	श्री शंकर दर्वे	आदेशपाल	सातवा	775-1025	05-01-1962	31-01-2022	
170	श्री कन्हार्ई शोय	पानी पांडे	अष्टम	775-1025	05-02-1959	28-02-2019	
171	श्री मुरारी कारवाँ	स्वीपर	सातवा	775-1025	02-11-1960	30-11-2020	

172	श्री मो० जलील	स्वीपर	षष्ठम	775-1025	02-01-1961	31-01-2021	
173	श्री विजय राम	स्वीपर	निरक्षर	775-1025	15-04-1955	30-04-2015	
174	श्री गोपाल हरिजन	स्वीपर	साक्षर	775-1025	08-03-1961	31-03-2021	
175	श्री लखन हांडी	स्वीपर	निरक्षर	775-1025	23-04-1963	30-04-2023	
176	श्री एतबारी हरिजन	स्वीपर	पंचम	775-1025	08-10-1957	31-10-2017	
177	श्री हरे राम	स्वीपर	अष्टम	775-1025	15-10-1961	31-10-2021	
178	श्री अशोक मेहत्तर	स्वीपर	सातवा	775-1025	15-10-1963	31-10-2023	
179	श्रीमति सुमित्रा देवी	स्वीपर	अष्टम	775-1025	15-04-1963	30-04-2023	
180	मो० अब्दुल कलाम	स्वीपर	साक्षर	775-1025	29-06-1968	30-06-2028	
181	श्री गोपाल सिंह	स्वीपर	चतुर्थ	775-1025	10-01-1957	31-01-2017	
182	श्री लच्छु तिग्गा	स्वीपर	सातवा	775-1025	15-10-1959	31-10-2019	
183	श्री राम लगन राय	माली	पंचम	775-1025	20-06-1960	30-06-2020	
184	श्री बसंत प्रसाद गुप्ता	पम्प चालक	नन मैट्रिक	950-1500	01-01-1961	31-12-2020	
185	श्री महेन्द्र सिंह	विद्युत कर्मी सह पम्प चालक	सातवा	975-1540	12-01-1958	31-01-2018	
186	श्री मो० अफजल	दफतरी	नवम	800 - 1150	20-04-1960	30-04-2020	
187	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	पी०आर०ओ०-3	नन मैट्रिक	1400-2300	23-02-1956	29-02-2016	
188	मो० असलम	हेल्पर	अष्टम	950-1500	12-01-1955	31-01-2015	

विभागीय कार्रवाई/निलंबित एवं न्यायालय में लंबित मामला से संबंधित कर्मियों की सूची

189	श्री सुधीर कुमार सिंह	भण्डार-सह-कर्मशाला लिपिक	बी०एस०सी०	1200-1800	05-04-1955	30-04-2015	
190	श्री मदनमोहन लाल महतो	लेखापाल	स्नातक	1400-2300	26-01-1957	31-01-2017	
191	श्री राजमोहन मिस्त्री	चालक	साक्षर	975-1540	21-01-1959	31-01-2019	
192	श्री मदन पासवान	चालक	सप्तम	975-1540	05-07-1957	31-07-2017	
193	श्री रामाश्रय सिंह	चालक	दशम	975-1540	27-02-1955	28-02-2015	

194	श्री भरत प्रसाद	चालक	अष्टम	975-1540	01-06-1959	31-05-2019	
195	श्री अशोक कुमार सिंह	चालक	सप्तम	975-1540	18-04-1956	30-04-2016	
196	श्री भरत प्रसाद सिंह	चालक	दशम	975-1540	10-01-1956	31-01-2016	
197	श्री वीरेन्द्र शर्मा	चालक	मैट्रिक	975-1540	06-06-1956	30-06-2016	
198	श्री जेम्स लकड़ा	कनीय भण्डारपाल	मैट्रिक	1320-2040	05-08-1957	31-08-2017	
199	श्री रामलखन प्रसाद	भण्डार-सह- कर्मशाला लिपिक	मैट्रिक	1200-1800	08-07-1954	31-07-2014	
200	श्री अरविन्द कुमार सिंह	लेखापाल	मैट्रिक	1400-2300	27-07-1955	31-07-2015	
201	श्री सुरेश प्रसाद	आदेशपाल	मैट्रिक	775-1025	04-03-1963	31-03-2023	
202	श्री बट्टी महतो	आदेशपाल	तृतीय	775-1025	16-06-1960	30-06-2020	
203	श्री गोपाल रजक	स्वीपर	साक्षर	775-1025	18-05-1956	31-05-2016	
204	श्री तरुणकार	सहायक यात्री निरीक्षक	आई0एस0सी0	1320-2040	01-12-1957	30-11-2017	
